न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 08 / 2013 तारीख रजू 08.07.2013

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. उमर फारूख पुत्र अब्दुल सलाम जाति मुसलमान, विक्रेता–फर्म–भारत ट्रेडिंग कम्पनी, मनिहारी बाजार शहर सवाईमाधोपुर निवासी कागजी मोहल्ला कागजियान मस्जिद के पास शहर सवाई माधोपुर।
2. अब्दुला पुत्र अब्दुल सलाम जाति मुसलमान, प्रोपराईटर–फर्म–भारत ट्रेडिंग कम्पनी, मनिहारी बाजार शहर सवाई माधोपुर निवासी कागजी मोहल्ला, कागजियान मस्जिद के पास शहर सवाई माधोपुर।

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक....10.8.21

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेम चन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 18.09.2012 को समय 1.00 पी.एम. पर दौराने गश्त फर्म–भारत ट्रेडिंग कम्पनी कम्पनी, मनिहारी बाजार शहर सवाई माधोपुर पर पहूँचा। वहॉ पर उमर फारूख पुत्र अब्दुल सलाम उपस्थित मिले। उमर फारूक को आवेदक द्वारा अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया एवं दुकान के खाद्य लाईसेन्स के बारे मे पूछा तो उसने दिखाया जिसमें फर्म का प्रोपराईटर श्री अब्दुला पुत्र अब्दुल सलाम है तथा खाद्य लाईसेन्स की सत्यापित छायॉ प्रति उपलब्ध करवायी। दुकान एवं गौदाम के निरीक्षण के दौरान यहॉ आम जनता को विक्रय करने के लिए गुटखा पाउच (अम्बर एवं विमल) के कुल 3654 पाउच रखे हुए थे। यह है कि गुटखा एक खाद्य पदार्थ है जिसमें संघटक के रूप में तंम्बाकू (निकाटिन) मिला हुआ था। खाद्य सुरक्षा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:03:57 IST
Reason: SelfAttested

एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के विनियम 2.3.4 (विक्रय प्रतिषेध और निर्वधन) के अनुसार आम जनता को गुटखा बेचना प्रतिबंधित है। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द बनाकर विक्रेता अब्दुल सलाम ने भी यह स्वीकार करते हुए दुकान एवं गौदाम पर कुल 3654 पाउच गुटखा (अम्बर एवं विलम) के आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ पाया गया है, फर्द पर लिखित में स्वंय की स्वकारोक्ति दी साथ ही उपस्थित गवाहसे फर्द पर हस्ताक्षर करवाये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता अब्दुल सलाम की लिखित सहमति से इन कुल 14155 गुटखा पाउच को मौके पर नष्ट करवाया गया। यह है कि गुटखा एक खाद्य पदार्थ है जिसमें संघटक के रूप में तंम्बाकू (निकोटिन) मिला हुआ था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के विनियम 2.3.4 (विक्रय प्रतिषेध और निर्वधन) के अनुसार आम जनता को गुटखा बेचना प्रतिबंधित है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.एक्ट 2006 नियम 2011 की धारा 53 में वर्णित अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर अभियोग पत्र स्वीकर कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य प्रकृति के बेसन के लड्डू (घी में निर्मित) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि अप्रार्थी संख्या 2 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत लाईसेन्स शुदा व्यक्ति है जिसका लाईसेन्स रजिस्ट्रेशन नम्बर 22212038000583 है जिसकी अनुपालना में खाद्य सामग्री का विक्रय किया जाता है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त लाईसेन्स की शर्तो की अनुपालना में कोई अवहेलना नही की है। अप्रार्थीगण द्वारा गुटखा (निकाटिन) इत्यादि का विक्रय नहीं किया है। यह है कि आवेदक द्वारा उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को झूठा फसाने के लिए सम्पूर्ण झूठी और निराधार कार्यवाही की गई हैं उक्त इस्तगासे में निष्पक्ष व्यक्तियों को जान बूझकर गवाहन नहीं बनाया है और ना ही उनके बयान लेखबद्व किये है और ना ही घटना स्थल का नक्शा मौका कसीद किया है। उक्त प्रकरण में वर्णित खाद्य सामग्री को यदि अप्रार्थीगण के यहॉ से जब्त किया होता तो उसकी प्रयोगशाला में पहले जॉच करवायी जानी चाहिये थी और उसके पश्चात अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही करने से पहले नोटिस द्वारा सूचित किया जाना अति आवश्यक है। आवेदक द्वारा पूर्णतया नैर्सगिक न्याय के सिद्वान्तो की अवहेलना की गई है। इसलिये इस्तगासा में वर्णित सम्पूर्ण कार्यवाही स्वत ही निरस्तनीय है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:03:57 IST
Reason: SelfAttested

अन्त में वकील अभियुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अप्रार्थीगण की दुकान व गौदाम का निरीक्षण करने पर वहॉ पर रखे हुये गुटखा (अम्बर व विमल) मिले जिसमें संघटक के रूप में तंम्बाकू (निकोटिन) होना पाया गया, तथा उक्त कुल 3654 पाउचों प्रोपराईटर की सहमति से नष्ट करवाये गये। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया है कि उक्त खाद्य पदार्थ (अम्बर एवं विमल) गुटखा का खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वरवक्त निरीक्षण कोई सेम्पल नहीं लिया गया है उक्त खाद्य पदार्थ की खाद्य विश्लेषक के यहॉ जॉच करायी गयी तो कैसे मान लिया जावे कि उक्त खाद्य पदार्थ (अम्बर एवं विमल) में निकोटिन पाया गया। मै वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस में दिये गये तर्को से सहमत हूँ अतः मेरी राय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र खारिज किया जाता

निर्णय आज दिनांक 10/5/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:03:57 IST
Reason: SelfAttested